विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली.110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

ईमेल

अनुस्मारक

मि.क्र.8–591 / 2024(CPP-I/C)

दिनांक :–15जनवरी, 2025

कुलसचिव,
वी.बी.एस. पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर–222003,
उत्तर प्रदेश।

विषय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के अनिवार्य प्रत्यायन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

विश्वविद्यालय अनुदान अयोग (यूजीसी) की 13 जून 2022 को अयोजित 559वीं बैठक में उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्णय के आलोक में अवगत कराना है कि आयोग द्वारा यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता के लिए अर्हता हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों को अनिवार्य रूप से NAAC प्रत्यायन की आवश्यकता होगी तथा ऐसे संस्थान जो पहले से ही धारा 12ख के तहत मान्यता प्राप्त हैं उन्हें मान्यता की निरंतरता हेतु अधिकतम पाँच वर्षों का समय प्रदान किया जा सकता है। तद्नुसार धारा 12ख के अंतर्गत पूर्व में मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को विलंबतम जून 2027 तक प्रत्यायन प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्त के आलोक में निवेदन है कि यूजीसी अधिनियम की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त समस्त संबद्ध / सहयुक्त महाविद्यालयों को प्रत्यायन संबंधी आवश्यकता के अनुपालन हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
ह0 / –
डॉ0 निखिल कुमार
(उपसचिव)

Scanned with CamScanner

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

NAAC 'A+' Grade

पृष्ठांकन : /पू0वि0वि0/सम्बद्धता/2025 /3644 तद्दिनांक–24.01.2025

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त महाविद्यालय, (सम्बद्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त पत्र के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निजी सहायक कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. वेबमास्टर, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव
24/1/25

Scanned with CamScanner